न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 111/10

लड्डू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी पीपल्दा कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी पीपल्दा कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. मांगीलाल पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. भैरूलाल पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. रामप्रसाद पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. अजोदा बाई पुत्री रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. द्वारका बाई पुत्री रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 14/237

1. रामप्रसाद पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा ।
2. मांगी लाल पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा ।
3. भैरूलाला पुत्र रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा ।
4. अजोदा बाई पुत्री रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा ।
5. द्वारका बाई पुत्री रामकन्या बाई जाति ब्राह्मण निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी पीपल्दा कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. महेन्द्र कुमार पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी पीपल्दा कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. लड्डू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, अपील संख्या 111/10 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 14/237 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपील संख्या 111/10 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 14/237 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने तथा समान पक्षकार होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 530/1062 की 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 113/1446 रकबा 2.40 हैक्टर कायम किये गये हैं । सेटलमेंट द्वारा वादीगण के खाते की भूमि के मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाये और नक्शा भी वादीगण के खाते की भूमि का बदल दिया और गलत जगह पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की भूमि को दर्शा दिया गया है जबकि वादगीण सेटलमेंट से पूर्व खाते मे दर्ज व नक्शे में दर्ज भूमि के अनुरूप काबिज है । सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के खाते की भूमि के नये खसरा नम्बर 113/1446 रकबा 2.40 हैक्टर डला गया जो अवैध व गैर कानूनी था क्योंकि उक्त आराजी पर वादीगण वर्तमान पर काबिज नहीं है । वादीगण पुराने खसरा नम्बर की भूमि 530/1062 की जो वर्तमान में नये नक्शे में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 111/1553 रकबा 1.65 हैक्टर पर काबिज है और प्रतिवादीगण क्रम 2 से 6 के खाते में दर्ज भूमि आराजी खसरा नम्बर 111/1431 की भूमि पर 0.80 हैक्टर पर काबिज है उक्त भूमि प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 111 में से ही मि0 नम्बर डालकर उनके खाते में दर्ज की गई है और वादीगण की जो भूमि बताई गई है वह भूमि सिवायचक भूमि है जिससे वादीगण को कोई लेना–देना नहीं है ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 530/1062 की 15 बीघा भूमि पुराने नक्शे के अनुरूप वादीगण के खाते में दर्ज की जावे तथा वर्तमान नक्शे व खाते में वादीगण की भूमि जो प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है खसरा नम्बर 111/1533 रकबा 1.60 हैक्टर व खसरा नम्बर 111/1431 की 1.65 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर जो दर्ज है उनका वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 111/10 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के खाते में अपीलान्ट की आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 111/1533 रकबा 1.60 हैक्टर है । उक्त भूमि चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय नियम 09 के अन्तर्गत आवंटित की गई है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 113/1446 रकबा 2.40 हैक्टर है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1व 2 इसी भूमि पर काबिज है खाते व टीप के अनुसार भी अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 उक्त खसरा नम्बर 111/1533 पर ही अपने खातेदारी हक रखता है । खसरा नम्बर 111/1533 की भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 काबिज नहीं रहे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि का खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

7. इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 अपीलान्ट ने अपील संख्या 14/237 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने से पूर्व सम्मन की तामील प्रोपर करवानी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वकील साहब की अण्डरटेकिंग को आधार मानते हुए बिना सम्मन की प्रोपर तामील देखे अग्रिम कानूनी कार्यवाही कर सुनवाई करते हुए अपीलान्ट को बिना इत्तेला के दिनांक 16.05.2007 को गेर कानूनी तरीके से जवाबदावा बन्द कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील संख्या 14/237 में अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2014 को हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपील संख्या 111/10 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहें गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 का दावा पेश कर यह कथन किया था कि वादी के खाते में आराजी खसरा नम्बर 530/1062 की 15 बीघा भूमि दर्ज थी जिसे सेटलमेंट ने रकबा 2.40 हैक्टर दर्ज किया है । सेटलमेंट द्वारा वादीगण के खाते की भूमि के मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाये और नक्शा भी वादीगण के खाते की भूमि का बदल दिया और गलत जगह पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की भूमि को दर्शा दिया गया है । वादीगण के खाते की

आराजी का खसरा नम्बर 113/1446 डाला गया है जो गलत है । नये नक्शे के हिसाब से वादीगण के खाते की पुराने खसरा नम्बर की भूमि 530/1062 की जो वर्तमान में नये नक्शे में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 111/1553 रकबा 1.65 हैक्टर पर काबिज है और प्रतिवादीगण क्रम 2 से 6 के खाते में दर्ज भूमि आराजी खसरा नम्बर 111/1431 की भूमि पर 0.80 हैक्टर पर काबिज है उक्त भूमि प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 111 में से ही मि0 नम्बर डालकर उनके खाते में दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने पहला निर्णय दिनांक 26.06.2008 को पारित किया और बाद में अपीलाधीन संशोधित निर्णय दिनांक 15.12.2008 पारित किया गया है । पहली डिक्री पारित करने के बाद दूसरी डिक्री की आदेशिका अंकित नहीं की गई है खसरा नम्बर 111/1533 अपीलान्ट के खाते की आराजी है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात पर विवेचन नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

11. अपीलान्ट ने अपील संख्या 14/237 में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111!1431 की रकबा 1.65 हैक्टर वाके ग्राम ख्यावदा अपीलान्ट को विरासतन अपनी स्व0 माता रामकन्याबाई से प्राप्त हुई थी जिस पर वो काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधि सम्मत तरीके से तामील नहीं करवाई है । अधीनस्थ न्यायालय ने वकील साहब की अण्डरटेकिंग को आधार मानते हुए बिना सम्मन की प्रोपर तामील देखे अग्रिम कानूनी कार्यवाही कर सुनवाई करते हुए अपीलान्ट को बिना सूचना के जवाबदावा बन्द कर दिया । अपीलान्ट को न तो सम्मन मिला और न ही अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई अभिभाषक नियुक्त किया और न ही अपीलान्ट में से कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपील संख्या 14/237 में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था दिनांक 27.11.2006 को प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादी क्रम 2 लागयत 6 की ओर से श्री गिरधार गोपाल तिवारी द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई दिनांक 16.05.2007 को प्रतिवादीगण क्रम 2 से 6 का जवाब बन्द किया गया है । अपीलान्ट रामप्रसाद एवं अन्य का यह कथन है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त नहीं किया है और उन्हें विधि सम्मत रूप से तामिल भी नहीं करवाई गई है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में सलंग्न तलवाने का अवलोकन किया । मांगीलाल का सम्मन मांगीलाल के पुत्र बृजेश को दिया जाना अंकित किया है । द्वारका बाई प्रतिवादी क्रम 06 के सम्मन उसके भतीजे अजोदाबाई के सम्मन को भतीजे रामप्रसाद प्रतिवादी क्रम 4 की तामील उनके पुत्र को किया जाना अंकित है और भैरूलाल प्रतिवादी क्रम 3 की तामील भतीजे को किया जाना अंकित है । तामील जो प्रतिवादी क्रम 3, 5 और 6 के भतीजे को किया जाना

अंकित है वह विधि सम्मत नहीं है । हम इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 को जवाबदावा पेश करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2008 को जो निर्णय पारित किया है उसमें संशोधन के उपरान्त पुनः दिनांक 15.12.2008 को संशोधित निर्णय पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारान को नोटिस नहीं दिये गये हैं । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111/1537, 111/1431 को सरकारी सिवायचक अंकित किया गया है जबकि पत्रावली में जो नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध की संवत् 2041 से 60 प्रदर्श– पी–5 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 113/1446 की 2.40 हैक्टर भूमि चौथमल पि0 औंकार के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी –13 के अनुसार 111/1533 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 लड्डू पुत्र नारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 111/1431 की आराजी प्रदर्श– पी– 15 के अनुसार मांगीलाल, भैरूलाल, रामप्रसाद पुत्रान व अजोदाबाई, द्वारकाबाई पुत्रियॉ रामकन्या के नाम खातेदारी में दर्ज है । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निग्रय त्रुटिपूर्ण है ।

16. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 111/10 एवं 14/237 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा